विभाग का नाम :– पर्यावरण विभाग दिल्ली सरकार,
विभाग का पता : तल–6, विंग–सी, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली – 110002

तारांकित / अतारांकित प्रश्न संख्याः– 111 (तारांकित)
दिनांकः– 26 / 03 / 2018
प्रश्नकर्ता का नामः– श्री पवन कुमार शर्मा

क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः–

प्रशन	उत्तर
(क) जहांगीर पुरी और आदर्श नगर क्षेत्रों की सड़कों पर विषैले रसायनों के बहने कि लिए जिम्मेदार फैक्ट्री मालिकों के विरूद्व विभाग द्वारा क्या कार्रवाही की जा रही है।	जहांगीर पुरी और आदर्श नगर क्षेत्रों में विषैले रसायनों के बहने के संबध में कोई सूचना डीपीसीसी को प्राप्त नही हुई हैं।
(ख) विषैले रसायनों का समुचित निस्तारण सुनिशिचत करने हेतु विभाग द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण क्या है।	इस क्षेत्र में एस.एम.ए.एस.एस.आई एंव राजस्थान उद्योग नगर औद्योगिक क्षेत्र है तथा इनमें औद्योगिक ईकाईयों के निस्स्राव को संयुक्त निस्स्राव शोधन संयंत्र; (CETP) से जोड़ा गया है। इस संयंत्र के निस्स्राव की जांच समय समय पर दिल्ली प्रदूषण नियत्रंण समिति के जल प्रयोगशाला; (Water Lab) द्वारा की जाती है तथा रिर्पोट को दिल्ली प्रदूषण नियत्रंण समिति की वेबसाईट पर अपडेट किया जाता है। इस क्षेत्र में Conveyance System के रखरखाव की जिम्मेदारी डी.एस.आई.आई.डी.सी पर है। अपशिष्ट पदार्थो को संयुक्त निस्स्राव शोधन संयंत्र; (CETP) Conveyance System के द्वारा ही प्रवाहित करने की विष्टिट शर्त औद्योगिक ईकाईयों पर लगायी जाती हैं।
(ग) क्या फैक्ट्री मालिकों को उनकी गतिविधियों जैसे काम करने के घटें, विषैले रसायनों का निस्तारण इत्यादि को नियामित करने हेतु विभाग द्वारा कोई निर्देश जारी किए गए है।,	यदि किसी विशेष औद्योगिक ईकाई की शिकायत आती हैं तो उस शिकायत पर DPCC द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।
(घ) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है; और	अधिकृत ईकाईयों को कुछ शर्तो के साथ वायु एवं जल अधिनियम के अर्न्तगत और खतरनाक अपशिष्ट नियम के अर्न्तगत संचालन की सहमति जारी की जाती हैं। यदि उपरोक्त उद्धृत अधिनियम / नियम के प्रावधानों के अर्न्तगत अनुपालन नही किया जाता तो डीपीसीसी द्वारा कार्यवाही की जाती है।
(च) क्या फैक्ट्री मालिकों द्वारा इनका पालन किया जा रहा है?	

Dr. CHETNA ANAND
Scientist
Department of Environment
Govt. of NCT of Delhi